

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2017/448

दिनांक 13.04.2017

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर महासभा का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) के प्रावधानानुसार नवीन महासभा के गठन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित धाराओं में प्रारम्भ किये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है:-

1. 20(1) समूह-ख (दस), (ग्यारह), (बारह), (तेरह)
2. 20(1) समूह-ग (बीस-क)
3. 20(1) समूह-घ (इक्कीस), (बाईस) एवं (तेईस)

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jiwaji.edu पर उपलब्ध है, का अवलोकन कर सकते हैं।

आदेशानुसार



कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ।

1. कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल।
2. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय।
3. विभागाध्यक्ष/समन्वयक, विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी ई-गवर्निंग सैल की ओर इस आशय के साथ कि, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर इसे प्रसारित किया जावे।
6. सूचना पटल पर चर्या हेतु।



उप-कुलसचिव (अकादमी)